REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 2 | NOVEMBER - 2018

गांधी और सत्याग्रह

सचिन कुमार
शोध छात्र, इतिहास विभाग,
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ.

प्रस्तावना :

गांधी ने अपने जीवन में जिन धारणाओं और सिद्धान्तों को स्थापित किया, वे सभी उनके सत्य के साथ किए गये प्रयोगों का परिणाम है। उनके विचारों की यह विशेषता रही कि उन्होंने किसी भी सिद्धान्त की रचना या उसे स्वीकार करने से पहले प्रयोगों के माध्यम से कसौटी पर कसा है। गांधी के विचारों में नवीनता भी है और विशिष्टता भी। यद्यपि उन्होंने विनम्रतावश यह स्वीकार किया है कि उनके विचारों में कोई नवीनता नहीं है। निश्चय ही सत्य और अहिंसा प्राचीन सिद्धान्त है और गांधी का समस्त दर्शन इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर रचा गया है। किन्तु यह कहना भी अतिश्योक्ति न होगा कि गांधी ने सत्य और अहिंसा को नये आयाम प्रदान किये। सत्य और अहिंसा को अब तक वैयक्तिक मुक्ति का साधन मात्र. माना जाता था, किन्तु गांधी ने सत्य और अहिंसा की विराट शक्तियों का प्रयोग नये आदर्श–समाज के निर्माण के लिए किया। इस प्रकार संगठित शक्ति के रूप में इन सिद्धान्तों को व्यवहार में किस प्रकार उतारा जा सकता है, इसका स्पष्ट दर्शन हमें गांधी–विचार से प्राप्त होता है। अतः कहा जा सकता है कि गांधी के सिद्धान्त पुराने सिद्धान्तों की पुनरूक्ति मात्र नहीं है।

गांधी को दुनिया एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में जानती है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कि सरल और मितव्ययी जीवन जीने वाला और सत्य पर डटे रहने वाला था। ऐसा व्यक्ति किन्हीं एक या दो परिस्थितियों की उपज नहीं हो सकता था। इससे बढकर वे विविध प्रकार के अनुभवों से समृद्ध व्यक्ति थे। यदि उन अवयवों की बात करें, जिनका प्रभाव गाँधी के मानसिक पटल पर पड़ा तो गांधी अपने परिवार में माता–पिता से बहुत प्रभावित थे। उनकी माता पुतलीबाई जो कि बहुत धर्म–परायण प्रवृत्ति की महिला थी, ने उनके धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। वे एक अतिधार्मिक महिला थी, जिन्होंने एक बालक के रूप में गाँधी को इस सुलभ स्वभाव का पाठ पढ़ाया। गांधी ने धर्म के बारे में प्रारम्भिक ज्ञान अपनी माता से ही प्राप्त किया जो कि आगे चलकर उनके धार्मिक विचारों की आधारशिला बना।

गांधी के पिता के पास अनेक जैन धर्माचार्य आया करते थे और धर्म चर्चा किया करते थे। गाँधी भी इस चर्चा को सुना करते थे। जिससे उनके मन में जैन धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो गया। गांधी, जैन धर्म की अहिंसा से प्रभावित थे किन्तु जैन धर्म में वर्णित अहिंसा के अतिवादी रूप की उन्होंने पर्याप्त आलोचना की। गांधी, जैन धर्म के पंच महाव्रतों (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रहमचर्य और अपरिग्रह) से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आन्तरिक शुद्धि के लिए वे इन महाव्रतों का पालन आवश्यक मानते थे। गाँधी के अनुसार इन व्रतों का पालन किए बिना ईश्वर प्राप्ति सम्भव नहीं है।

एडविन एरनॉल्ड की पुस्तक 'द लाइट ऑफ एशिया' से उन्हें बुद्ध की शिक्षा के बारे में पर्याप्त ज्ञान मिला था। जैन व बौद्ध धर्म दोनों ने ही सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह पर अत्यधिक बल दिया। बुद्ध के अनुसार इन नैतिक गुणों–सद्गुणों को अपनाकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी ने बुद्ध के सच्चे शिष्य की भांति इन विचारों को व्यवहार में प्रयोग किया था। इन स्त्रोतों के अलावा अनेक धार्मिक पुस्तकों ने भी गांधी के चिन्तन और विचारों को प्रभावित किया। जिन पुस्तकों ने सबसे अधिक प्रभावित किया उनमें 'गीता' को सर्वाधिक महत्व दिया जा सकता है। गांधी ने अन्य धार्मिक ग्रन्थों, महाकाव्यों और पवित्र

रचनाओं का भी अध्ययन किया जैसे तुलसीदास कृत रामचरित्रमानस, व्यास का महाभारत आदि। गांधी पर गीता के बाद सर्वाधिक प्रभाव तुलसीदास की रामायण का पड़ा। गांधी, विवेकानन्द के जीवन और उनकी शिक्षाओं से भी अति प्रभावित थे। इन धर्मों के अतिरिक्त जिन पाश्चात्य विचारकों ने गांधी को प्रभावित किया उनमें सुकरात का महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य पर डटे रहने वाले व्यक्ति के रूप में प्राचीन दार्शनिक सुकरात का गांधी पर असीम प्रभाव था।

गांधी अमेरिका के विचारक डेविड थोरो से भी बहुत प्रभावित थे। गांधी ने थोरो के 'सिविल डिसओबिडियन्स' नामक निबन्ध को पढ़ा। इस निबन्ध में इन्होंने 'सत्याग्रह' शब्द को पढ़ा। और अपने जीवन में इसको उतारा। इनके अतिरिक्त इंग्लैण्ड के महान विचारक रस्किन से भी ये बहुत प्रभावित हुए, जो एक समाज सुधारक थे, रस्किन के 'अनटू दि लास्ट' नामक पुस्तक को पढ़ा और सर्वोदय के विचार को अपनाया। गांधी इस सिद्धान्त को नैतिकता से ओतप्रोत मानते थे। पाश्चात्य विचारकों में गांधी पर सबसे ज्यादा प्रभाव टॉल्स्टाय का पड़ा। टॉल्स्टाय की पुस्तक 'The Kingdom of God is within You' ने उन्हें विशेष प्रभावित किया, इस पुस्तक के ज्ञान से गांधी में सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास पैदा हुआ। टॉल्स्टाय का अहिंसा की शक्ति में बहुत विश्वास था।

सत्याग्रह का अर्थ

गांधी दर्शन मे सत्याग्रह को समाज परिवर्तन की पद्धति या महत्त्वपूर्ण शस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का सूक्ष्म विश्लेषण किया। तत्पश्चात् जीवन की सभी समस्याओं के निदान के लिए इस पद्धति को अपनाने पर बल दिया। गांधी के अनुसार सत्याग्रह के द्वारा व्यक्ति और समाज की बुराईयों का निराकरण कर उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। सम्पूर्ण मानव इतिहास में गांधी को छोड़कर किसी दूसरे ने इसका प्रयोग इतने व्यापक क्षेत्र (आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक) में नहीं किया।[1]

सत्याग्रह शब्द 'सत्य' और 'आग्रह' शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए दृढ़तापूर्वक आग्रह करना। दूसरे शब्दों में भय तथा प्रलोभन के बिना स्वयं कष्ट सहन करते हुए केवल अहिंसात्मक उपायों की सहायता से सदैव सत्य पर दृढ रहना और मन, वचन तथा कर्म से उसी के अनुसार आचरण करना सत्याग्रह है। गांधी ने सत्याग्रह को इसी व्यापक रूप में स्वीकार किया और इसी व्यापक अर्थ में वे पर्याप्त समय तक दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में सत्याग्रह का प्रयोग करते है।

गांधी ने सत्याग्रह को 'सत्य–शक्ति'[2] 'आत्म–शक्ति'[3] और 'प्रेम–शक्ति'[4] के रूप में स्वीकार किया है। अतः सत्याग्रह का अर्थ है– सत्य–शक्ति, आत्म–शक्ति और प्रेम–शक्ति का आग्रह। दक्षिण अफ्रीका ये जातीय भेद–भाव के विरुद्ध अहिंसक हथियार के रूप में गांधी के सत्याग्रह ने जन्म लिया। जब गांधी ने देखा कि उनके आन्दोलन की गलत अर्थो में व्याख्या हो रही है और उसे निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा देकर कमजोरों का हथियार माना जा रहा है, तब उन्होंने इसका विरोध कर अपने आन्दोलन की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करना आवश्यक समझा। आन्दोलन के वास्तविक अर्थ का परिचय कराने वाले शब्द की खोज की गयी। उन्होंने 'इण्डियन ओपीनियन' के पाठकों के लिए प्रतियोगिता आयोजित कराई। बहुत से सुझाव आये इनमें एक सुझाव गांधी के चचेरे भाई मगन लाल गांधी का भी था। उन्होंने सत्आग्रह की संधि करके 'सदाग्रह' शब्द बनाकर भेजा। गांधी 'सदाग्रह' शब्द के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए इसे 'सत्याग्रह' शब्द में परिवर्तित कर दिया।

गांधी के लिए सत्याग्रह एक विज्ञान है जो अभी विकास की प्रक्रिया में है। सत्य अपने प्रयोगों के दौरान सत्याग्रह के संबध में गांधी ने अपनी विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। इनमें से कुछ इस प्रकार है–

1. यह ऐसा बल है जो चुपचाप और जाहिरा तौर पर धीरे–धीरे काम करता है परन्तु वास्तविकता यह है कि संसार में इससे ज्यादा प्रत्यक्ष और दुतगति से काम करने वाला कोई दूसरा बल नहीं है।[5]
2. सत्याग्रह पूर्ण अनात्मशंसा, अधिकतम विनम्रता, असीम धैर्य तथा प्रर्याप्त आस्था है, यह अपना पुरस्कार स्वंय है।[6]
3. सत्याग्रह सत्य की अथक खोज और उस तक पहुँचने का दृढ़ संकल्प है।[7]
4. सत्याग्रह और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक यानी राष्ट्रीय जीवन में सत्य और शालीनता की प्रतिष्ठा है।[8]
5. Satyagraha is based upon an unquestionable faith in god and his justice.[9]
6. Satyagraha can not be refarted for personal gains but only for the good of others.[10]

7. सत्याग्रह सार्वभौम प्रयुक्ति का नियम है। परिवार से आरम्भ करके इसका विस्तार प्रत्येक क्षेत्र तक किया जा सकता है।[11]

गांधी के अनुसार, "सत्याग्रह हमे जीने और मरने दोनो की कला सिखाता है।[12] यह अपने–पराये युवा–वृद्ध, स्त्री–पुरूष एवं मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करता। इसीलिए इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नि, पुत्र, अपने अधिकारी, यहां तक कि समूचे विश्व के विरुद्ध कर सकता है।

गांधी के अनुसार पूर्ण सत्याग्रह में निषेधात्मक तत्वों के साथ–साथ भावात्मक मूल्य भी जुड़े हुए होते है। भावात्मक अर्थो में यह एक जीवन पद्धति है। श्री आर0आर0 दिवाकर इसे और स्पष्ट करते हुए कहते है कि "यह जीवन जीने की ऐसी प्रवृत्ति है जो जीवन–निर्माण, उत्थान तथा विस्तार के साथ चलने वाली विकासात्मक शक्तियों के अनुकूल है तथा जिसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार के उत्पादन तथा जिसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार के उत्पादन तथा रचनात्मक कार्यो के रूप में प्रकट होती है।"[13] अतः गांधी के रचनात्मक कार्य सत्याग्रह का भावात्मक पक्ष है। गांधी के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम सत्याग्रह को पूर्णतः अहिंसक और सृजनात्मक बनाता है।

गांधी के सत्याग्रह को समझने के लिए उसे कुछ अन्य समानार्थक शब्दों के सन्दर्भ में देखना अनिवार्य है क्योंकि सामान्य रूप से सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध और सविनय कानून भंग का प्रर्यायवाची माना जाता है। परन्तु सत्याग्रह का इन सभी से भेद है। गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका मे किया। किन्तु वहां से समसामयिक इग्लैंण्ड और अफ्रीका में प्रचलित निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा दी जाने लगी। गांधी ने बताया कि सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से उसी प्रकार भिन्न है। जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से भिन्न है।[14] गांधी जी स्पष्ट कहते है कि सत्याग्रह में हिंसात्मक क्रियाओं से कही अधिक सक्रियता है। अतः इसे निष्क्रियता प्रतिरोध कहना अनुचित है। पुनः उनका कहना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा की सम्भावना सदैव बनी रहती है क्योंकि वहां अवसर मिलने पर शस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान है। पूर्णतया विपरीत परिस्थिति आने पर भी हिंसा का प्रयोग वर्जित है।[15] सत्याग्रह का लक्ष्य किसी भी प्रकार से विरोधी को पीड़ा पहुँचाना नहीं है। यह शुद्ध प्रेम पर आधारित हैं, अतः इसमें धृणा द्वेष का कोई स्थान नहीं हैं। इसमें विरोधी के प्रति भी प्रेम का भाव रहता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक प्रकार से दबाव की पद्धति है।[16] परन्तु सत्याग्रह में प्रतिपक्षी पर किसी प्रकार दबाब नहीं बनाया जाता बल्कि सत्याग्रही आत्मपीडन के द्वारा विरोधी का हृदय जीतने का प्रयास करता है।[17]

सत्याग्रह और सविनय कानून भंग के सम्बन्ध को समझना भी आवश्यक है। सविनय अवज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन विचारक थोरो ने किया था। इसका उद्देश्य राज्य के द्वारा निर्मित अनैतिक कानूनों का विनम्रतापूर्वक उल्लंघन करना था।[18] अतः यह परतंत्र राज्य के नागरिकों हेतु प्रतिरोध का अस्त्र था।[19] परन्तु गांधी अनुसार इस सिद्धान्त में पूर्ण अहिंसा का अभाव रहता है।[20] गांधी के सविनय प्रतिरोध की पूर्व शर्त है कि उसमें भाग लेने वालों या सामान्य जनता की ओर से हिंसा शुरु न किए जाने की पक्की गारंटी हो।[21] उनके अनुसार सविनय प्रतिरोध हिंसा के वातावरण में प्रगति नहीं कर सकता है।[22] यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि गांधी के सविनय अवज्ञा का उद्देश्य केवल राज्य के अनैतिक कानूनों का विरोध करना ही नहीं है अपितु यह सभी प्रकार के अनैतिक कानूनों का अहिंसक प्रतिरोध है। इस अर्थ में यह सत्याग्रह सिद्धान्त का एक अंग हैं[23] अतः इसे पूर्ण सत्याग्रह समझना अनुचित है। यह आत्म–शक्ति, प्रेम–शक्ति, और सत्य–शक्ति के आधार पर चलने वाली सक्रिय, साक्षात अहिंसक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक पुनर्निर्माण की अद्भुत शक्ति निहित है।

सत्याग्रह के प्रकार

गांधी सत्याग्रह को एक सरल कार्यविधि मानते है। जिसका प्रयोग सन्दर्भनुसार भिन्न–भिन्न रूपों में होता है। वस्तुतः सत्याग्रह में मौलिक रूप में कोई भेद नहीं है। किन्तु अलग–अलग परिस्थितियों के अनुरूप यह विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। सत्याग्रह न्याय की स्थापना के लिए पूर्णतया नैतिक और अहिंसक मार्ग है। शीघ्र फल की आंकाक्षा में लिया गया एक गलत निर्णय भी सत्याग्रह के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। अतः गांधी की अनुशंसा है कि सत्याग्रह की सीधी कार्यवाही करने से पूर्व यह तय कर लेना चाहिए कि अब कोई अन्य मार्ग

शेष नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्व तैयारिया भी आवश्यक है। इस संबध में गांधी ने निम्न उपायों की चर्चा की है–

1. **धैयपूर्ण प्रतीक्षाः**– विरोधी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रत्युत्तर की धैयपूर्ण प्रतीक्षा करनी चाहिए। सत्याग्रह का लक्ष्य ही है कि विपक्षी को समुचित अवसर प्रदान किया जाये ताकि वह यथार्थ स्थिति को समझ सके। प्रत्युत्तर के आने तक सत्याग्रही को सम्पूर्ण घटनाक्रम पर सावधानीपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए।
2. **जनमत को शिक्षित करनाः**– सत्याग्रह की सफलता के लिए शुभ उद्देश्य का होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे जनता का समर्थन भी मिलना चाहिए। अतः अन्याय की समाप्ति के लिए जनमत को शिक्षित करना आवश्यक है।[24] यहाँ पर भी आवश्यक है कि सत्याग्रही जनता के प्रति विनम्र व्यवहार रखे व उस पर आवश्यक दबाव न डाले।
3. **साम्प्रदायिक एकताः**– गांधी ने साम्प्रदायिक एकता को बहुत महत्त्व दिया है। उनके अनुसार आपत्तिकाल में अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर सत्याग्रह के लिए एकजुट होकर खड़े होना आवश्यक है।
4. **बातचीत और मध्यस्थाः**– सत्याग्रह में कभी द्वेष या घृणा का वातावरण उत्पन्न नहीं किया जाता। सत्याग्रही सदैव बातचीत और मध्यस्थता से समस्या को सुलझानें का प्रयास करता रहता है। सर्वप्रथम विरोधी पक्ष से सीधी बातचीत की जाती है। इसके असफल रहने पर ऐसे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की मांग की जा सकती है। जो दोनों पक्षों की स्वीकार्य हो। मध्यस्थता के भी विफल हो जाने के पश्चात सीधी कार्यवाही व असहयोग की चेतावनी दी जाती है।

सीधी कार्यवाही

विरोधी के लिए की गयी कार्यवाही को सदैव हिंसक और अहिंसक दो भागों में बांटा जा सकता है। गांधी अहिंसक कार्यवाही के पक्षधर है। गांधी द्वारा निर्दिष्ट इसके विभिन्न चरण संक्षेप में इस प्रकार है–

1. **वृहद स्तर पर लोगो से सम्पर्कः**– इस विधि में सत्याग्रही अपने विचारों अपनी दृष्टि और विभिन्न सूचनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहँचाने का प्रयास करता है। यहां सत्याग्रही का लक्ष्य जनता की सद्भावना और समर्थन प्राप्त कर विरोधी पर प्रभाव डालना है।
2. **सार्वजनिक भाषणः**– सत्याग्रही के लिए सार्वजनिक भाषण अहिंसक प्रतिकार का एक उत्तम साधन हैं। ये भाषण जनता की भावनाओं को प्रकट करने में सहायक होते है। इन भाषणों को औपचारिक, अनौपचारिक या धार्मिक प्रवचन किसी भी रूप में दिया जा सकता है। गांधी स्वयं प्रार्थना के पश्चात् भाषण दिया करते थे।
3. **नारे पोस्टर और झंडेः**– विरोध प्रकट करने के लिए सर्वमान्य रूप से इनका उपयोग किया जा सकता है। गांधी ने समय पर दक्षिण अफ्रीका और भारत में इसका प्रयोग किया।
4. **समाचार पत्र एवं पत्रिकाएंः**– समाचार पत्र और पत्रिकाएं अपने विचारों को जनता के बीच ले जाने और उनसे संवाद स्थापित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। गांधी ने स्वयं बहुत से समाचार–पत्रों का प्रकाशन और सम्पादन किया। सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में 1903 में 'इण्डियन ओपीनियन' नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बाद में भारत में 'यंग इण्डिया', नवजीवन और हरिजन आदि समाचार पत्र गांधी के मार्गदर्शन में प्रकाशित किए गए।

प्रतीकात्मक सार्वजनिक क्रियाएं

विरोध प्रर्दशन के लिए सार्वजनिक रूप से विभिन्न प्रतीकात्मक क्रियाएं करना सत्याग्रह की प्रचलित विधि है। गांधी ने समय–समय पर निम्न प्रतीकात्मक क्रियाओं का प्रयोग किया–

1. **प्रतीको को धारण करनाः**– इस विधि में विरोधी स्वरूप विशेष प्रकार के वस्त्र, बिल्ले या इसी प्रकार के अन्य किसी चिन्ह को धारण किया जाता है। गांधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन में इस प्रकार के चिट्टो का बहुतायत से प्रयोग कियां
2. **प्रार्थनाः**– गांधी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में (विशेष कर राजनीतिक क्षेत्र में) आध्यात्मिकता के प्रयोग के पक्षधर रहे है। इसके लिए उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में धार्मिक व नैतिक मूल्यों के प्रयोग की अनुशंसा की है।

इसीलिए अन्याय के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए उन्होंने प्रार्थना जैसे धार्मिक कृत्यों को सत्याग्रह की विधि के रूप में स्वीकार किया।

3. **अपनी सम्पत्ति का नाश करना:**– विरोधी के सम्मुख अपने विरोध की तीव्रता प्रदर्शित करने का यह अहिंसक तरीका है। किन्तु गांधी इसे आदर्श नहीं मानते। उन्होंने किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को वृहद स्तर पर नष्ट करना अनुचित माना है।

जुलूस एवं प्रदर्शन

अहिंसक प्रतिकार की यह सर्वज्ञात विधि है। निम्न दो रूपों में गांधी ने इस विधि का प्रयोग किया–

1. **शांतिपूर्ण और अनुशासित संचालन:**– इस विधि में विरोध के विषय से सम्बन्धित स्थान का पूर्व में ही चयन कर लिया जाता है। तत्पश्चात कुछ व्यक्तियों का समूह पूर्णतया शांत और अनुशासन वह होकर उस निश्चित स्थान तक पैदल पहुँचता।
2. **परिभ्रमण:**– जनता के सीधे सम्पर्क में आने और अपने आन्दोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने की यह विलक्षण पद्धति है। राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों को लेकर गांधी ने समय–समय पर बहुत सी यात्राएं की जो अनेक शहरों और गांवों से होकर जाती थी। इनमें से कुछ पदयात्राएं भी थी।

असहयोग

असहयोग को प्रायः निष्क्रिय अवस्था मान लिया जाता हैं। किन्तु गांधी इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार, "असहयोग कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं हैं, यह अत्यन्त सक्रिय स्थिति है– हिंसक प्रतिरोध या हिंसा से अधिक सक्रिय।"[25] यह इतना पवित्र, हानिरहित और कारगर साधन है कि "अगर इसका इस्तेमाल सच्ची भावना से किया जाए तो यह पहले ईश्वर के साम्राज्य की कामना करने के समान होगा जिसके बाद सब कुछ स्वयं प्राप्त होता जाता है।"[26] गांधी का स्पष्ट मत हैं कि असहयोग के सम्बन्ध में बड़ी सर्तकता तथा विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता है।

1. **हड़ताल:**– यह प्रतीकात्मक रूप से अपना असहयोग दर्शाने की उत्तम विधि है। इसमें अपनी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सामान्यतया 24 घंटे के लिए बंद रखा जाता हैं ।[27] हडताल का उद्देश्य न्यायसंगत होना चाहिए, हडतालियों को किसी भी परिस्थिति में हिंसा से बचना चाहिए। हडताल से पूर्व मालिकों से बातचीत कर समस्या को सुलझानें का प्रयास भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि हडताल के दौरान हड़ताली पूर्णतया आत्मनिर्भर रहे।
2. **हिजरत:**– हिजरत मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अपने कार्यक्षेत्र का स्वैच्छिक त्याग, किन्तु गांधी ने अपने देश या स्थान के त्याग को कार्यरतापूर्ण माना है। उन्होंने केवल उन व्यक्तियों के लिए हिजरत को उचित माना है जो अपने को उत्पीडित अनुभव करते है, जो किसी विशेष स्थान पर रहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा में असमर्थ है और जिनमें सच्ची अहिंसा से प्राप्त होने वाली शक्ति का अभाव तो है ही वे हिंसा के माध्यम से भी अपनी रक्षा में असमर्थ है।[28]
3. **बहिष्कार:**– गांधी ने इसे असहयोग का महत्त्वपूर्ण प्रकार माना है। इस विधि में विभिन्न उपाधियों, न्यायालयों आवश्यक वस्तुओं संस्थाओं जैसे– स्कूल और कॉलेज, विधान परिषदों और सरकारी नौकरियों जैसे– सेवा और पुलिस का बहिष्कार किया जाता है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका मे सन् 1907 में एशिपाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध इस पद्धति का उपयोग किया।

सविनय अवज्ञा

अहिंसक रीति से किसी भी अन्यायकारी या अनैतिक कानून को भंग करना सविनय अवज्ञा कहलाता है। गांधी के मत में सविनय अवज्ञा का सच्चा अधिकारी वहीं हो सकता है जो समाज के नियमो का पालन करना अपना कर्त्तव्य समझता है। गांधी स्पष्ट कहते है कि "समाज के नियमों का इस प्रकार पालन करने से ही वह ऐसी स्थिति मे आ पाता है कि यह निर्णय कर सके कि कौन–से नियम अच्छे तथा न्यायोचित है और कौन से अनुचित तथा अन्यायपूर्ण तभी सुनिश्चित परिस्थितियों में किन्हीं नियमों की सविनय अवज्ञा करने का अधिकार उसे मिलता है।"[29]

1. **कर न देना:**– उपवास के पश्चात सत्याग्रही के शास्त्रागार का यह सर्वाधिक आक्रामक शास्त्र है। श्री के0एल0 श्रीधरानी के अनुसार, "By refusing to fill the coffers of the state the satygrahis attempt to cut the very life-line of the government"[30] अर्थात राज्य को कर देने से इंकार कर सत्याग्रही सरकार की जीवन–रेखा समाप्त कर देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए धन प्रथम आवश्यकता है। सरकार प्रतिशोध लेने के लिये सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर सकती हैं, या उनकी जमीन, पशुधन और अन्य सम्पत्ति जैसे–बैंक खाते आदि पर कब्जा कर सकती है या शारीरिक दंड भी दे सकती है। गांधी ने सर्वप्रथम सन् 1918 में खेडा सत्याग्रह के समय लोगों से सरकार को कर न देने का कहा था।
2. **स्वैच्छिक कारावास:**– गांधी के मतानुसार जानबूझकर नियमों को भंग कर स्वेच्छा से जेल जाना प्रतिपक्षी के समक्ष अपना विरोध दर्शाने का एक प्रभावी तरीका है। वह स्वयं चार बार दक्षिण अफ्रीका में और छः बार भारत में जेल गए थे।

धरना

इस विधि में विरोध के विषय से सम्बन्धित स्थान पर सामूहिक रूप से उपस्थिति होकर अपना विरोध प्रदर्शित किया जाता है। किन्तु यह उपस्थिति शांत और नम्र होनी चाहिए। गांधी के अनुसार, धरना विनम्र प्रार्थना का प्रतीक हैं इसलिए उन्होंने मार्गो को अवरुद्ध करने जमीन पर लेटकर या बैठकर लोगों को किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकने या अन्य किसी प्रकार का अतिक्रमण उत्पन्न करने जैसे कृत्यों की सदैव आलोचना की। उनके अनुसार धरना अनिवार्य रूप से केवल भाषण का प्रयोग किया जा सकता है और वह भी पूर्णतया विनम्र और संयत भाषा के होना चाहिए।

शांतिपूर्ण लूट

इस विधि में सत्याग्रही विरोधी की सम्पत्ति को लूटते है। इसका उद्देश्य विरोध पर आर्थिक दबाब डालना तो है ही, साथ ही जनता के तीव्रतम विरोध को प्रदर्शित करना भी हैं। गांधी के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और अहिंसक होनी चाहिए। अर्थात इसमें विरोधी के किसी भी व्यक्ति को शारीरिक हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। शांतिपूर्ण लूट की यह कार्यवाही इस तर्क पर आधारित होती है कि जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं पर किसी का एकाधिकार अनुचित है। सन् 1930 में नमक सत्याग्रह के समय नमक के अनेक गोदामों को सत्याग्रहियों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से लूटा गया।

उपवास

गांधी के लिए उपवास केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धि का साधन मात्र नहीं है बल्कि समाज में होने वाली किसी भी प्रकार के अन्याय के विरोध की एक विधि मात्र भी है। गांधी ने उपवास को सत्याग्रह के शास्त्रागार का अंतिम एंव सबसे शक्तिशाली शस्त्र माना है,[31] जिसमें स्वार्थ, क्रोध, आस्थाहीनता अथवा अधैर्य के लिए कोई स्थान नहीं है।[32] इसलिए उपवास को यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता। केवल शारीरिक क्षमता का होना ही उपवास के लिए पर्याप्त नहीं है। उपवास की प्रेरणा व्यक्ति की आत्मा की गहराई से आनी चाहिए।[33] गांधी के अनुसार, उपवास केवल विशेष परिस्थितियों में ही उचित है। अन्याय के निवारणार्थ उपवास का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि अन्य सभी उपाय असफल हो चुके हो। क्रोध या आवेश में वशीभूत होकर उपवास का निर्णय लेना अनुचित है।

गांधी ने अपने जीवन में 17 उपवास किए, जिनकी कुल अवधि 138 दिन थी। उन्होंने प्रथम उपवास दक्षिण अफ्रीका में 10–16 मार्च 1913 तक और अन्तिम उपवास भारत में 13–18 जनवरी 1948 तक किया। इन 17 उपवासों मे से 3 सरकार द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध, तीन अन्य आत्मशुद्धि के लिए, तीन उपवास हिन्दू–मुस्लिम दंगों के विरोध में, एक उपवास अहमदाबाद मिल मजूदरों की हडताल को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए, चार उपवास छुआछूत के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए और शेष उपवास विभिन्न हिंसक कार्यकलापों के विरोध में किये गये थे।

सत्याग्रही की प्रणाली

गांधी ने सत्याग्रह को मानवीय सर्घषों के निराकरण की विधि के रूप में विकसित किया। यह व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष की पद्धति है। अतः सत्याग्रह का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। यद्यपि विविध समस्याओं के निदान के लिए गांधी ने सत्याग्रह के विविध प्रकारों का प्रयोग किया किन्तु उन सभी के मूल तत्व एक ही है जिनके द्वारा सत्याग्रह की तकनीकी का विकास हुआ है। इन मूल तत्वों का अध्ययन सत्याग्रह की प्रणाली के लिए आवश्यक है।

सत्याग्रह की मूल मान्यता है कि हर व्यक्ति में शुभत्व विद्यमान है। अतः प्रत्येक व्यक्ति में अपने शुभत्व के अनुरूप कार्य करने की सम्भावना सदैव बनी रहती है। इसीलिए सत्याग्रही अपने प्रतिपक्षी में अन्त तक श्रद्धा बनाये रखना है। व्यक्ति मे शुभत्व होने के पश्चात भी वह यदा–कदा अशुभ कार्य कर बैठता है। इसका कारण है कि या तो वह अपने इस शुभत्व रूप की स्वेच्छा से गौण बना कर जीवन व्यतीत करता है या अपनी अंतरात्मा की आवाज (शुभत्व की ध्वनि) को अनसुनी कर देता है। गांधी के सत्याग्रह का लक्ष्य है कि इस दबी आवाज को पुनः जाग्रत करे। इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए सत्याग्रही स्वेच्छा से स्वयं को कष्ट मे डालता हैं। वह कष्टों को सहकर विपक्षी को प्रभावित करता है तथा उसकी दृष्टि को परिवर्तित करने में सफल होता है।[34]

यहां यह शंका हो सकती है कि सत्याग्रह विवश करने की या दबाव की विधि है लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी के अनुसार विवश करने के ढंग में हिंसा का भाव छुपा होता है। ऊपर से भले ही शारीरिक बल प्रयोग न हो, किन्तु मानसिक स्तर पर इसमें आवेश और बल प्रयोग अवश्य है। सत्याग्रह का लक्ष्य विपक्षी को असहाय बनाकर अपने अनुकूल मत की पुष्टि करवाना नहीं है। इसका लक्ष्य हृदय–परिवर्तन के द्वारा विरोधी की विवेकसम्मत दृष्टि को जाग्रत कर उसे न्यायपथ पर अग्रसर करना है, और यह केवल अहिंसात्मक विधि द्वारा ही सम्भव है। इस प्रकार सत्याग्रह शुद्ध अहिंसात्मक प्रतिकार है। इससे शारीरिक या मानसिक, किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।

गांधी के अनुसार, धैर्य सत्याग्रह की तकनीकी का महत्त्वपूर्ण अंश है। सत्याग्रह की सफलता के लिए आवश्यक है कि विरोधी का सत्याग्रही की सज्जनता और इसके ध्येय की सार्थकता में विश्वास उत्पन्न हो। जब विरोधी इस बात से आवश्वस्त हो जाता है कि सत्याग्रही का ध्येय उसे नुकसान पहुँचाना नहीं है और उसकी मांग भी उचित लाता है। किन्तु यह समय साध्य प्रक्रिया है। अतः सत्याग्रह में असीम धैर्य रखना आवश्यक है।

गांधी की दृष्टि में सत्याग्रह बल है किन्तु यह बल शारीरिक नहीं वरन् नैतिक है। इसी को उन्होंने आत्मशक्ति या प्रेमशक्ति भी कहा है। नैतिक बल के आधार पर ही सत्याग्रही सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार रहता है। वह आत्मा के समक्ष सांसरिक वस्तुओं को तुच्छ मानता है। सत्याग्रही के सम्बन्ध में गांधी कहते है कि "अंहिसा का पुजारी होने के नाते तुमने शुरु से ही निर्णय कर लिया है कि सांसरिक पदार्थो का आत्मा से कोई वास्ता नहीं है। जिसे तुम अपना मानते हो, उसे अपने पास तभी तक रखोगे जब तक दुनिया रहने देगी।[35] अतः सत्याग्रह के विरुद्ध की गयी दमनात्मक कार्यवाही में सांसारिक वस्तुओं के छिन जाने पर भी सत्याग्रही शोक नहीं करता बल्कि अंत तक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता है और अपनी आत्मा को बेचने से इंकार कर देता है। गांधी के अनुसार, "विजेता के हाथ अपनी आत्मा को बेचने से इंकार का अर्थ है कि तुम वह काम नहीं करोगे जिसे करने के लिए तुम्हारी अंतश्चेतना तुम्हे रोकती है।"[36]

गांधी सत्याग्रह की तकनीकी को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते है कि "किसी को स्वामी मानकर उसके प्रति निष्ठा रखने से इंकार करने का अर्थ स्पष्ट है कि तुम विजेता के प्रभुत्व के आगे झुकोगे नही, तुम उसे उसका उद्देश्य पूरा करने में सहायता नहीं करोगे। हर हिटलर ने कभी ब्रिटेन पर कब्जा करने का सपना नहीं देखा। वह यह चाहता है कि ब्रिटेन पराजय स्वीकार कर ले। तब विजेता पराजित से जो चाहे मांग सकता है और पराजित को विवश होकर उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर वह पराजय स्वीकार न करे तो शत्रु तब तक लड़ेगा जब तक कि वह अपने विरोधी द्वारा मारे जाने का प्रयास करने से पहले ही मृत है अर्थात उसने अपने शरीर का मोह त्याग दिया है और केवल आत्मा की विजय में जीता है। जब वह पहले ही मर चुका है तो वह किसी और को मारने के लिए आतुर क्यो होगा। मारते हुए मरने का वास्तविक अर्थ है पराजित होकर मरना। क्योंकि शत्रु जो चाहता है, वह यदि तुमसे जीते जी प्राप्त नहीं कर सकता तो वह तुम्हे मार कर प्राप्त करना चाहेगा। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि गांधी ने मानवीय मनोविज्ञान के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर

सत्याग्रह की प्रणाली का विकास किया है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हिंसा अवश्यमेव हिंसा को ही जन्म देती है। विपक्षी के विरुद्ध किया गया हिंसक प्रतिकर प्रत्युत्तर में घातक हिंसा के प्रयोग की संभावना को ही पुष्ट करता हैं। अन्यथा अपनी हिंसा कार्यवाही के प्रत्युत्तर में हिंसा की ही अपेक्षा करता है। किन्तु सत्याग्रह में वह हिंसा के बदले अहिंसा और प्रेम को पाता है। सत्याग्रही का अहिंसक और प्रेमपूर्ण व्यवहार अन्यायी के क्रोध का शमन कर देता है। और अन्यायी अपने कृत्यों पर लज्जित होता है और अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है।

सन्दर्भ सूची

1. गांधी, मो0के0 : सत्याग्रह नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद, 1958, पृ0–3
2. वहीं, पृ0–3
3. वहीं, पृ0–6
4. प्रभु,आर0के0 एवं राव, यू0आर0: महात्मा गांधी के विचार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1994, पृ0–157
5. वहीं, पृ0–157
6. वहीं, पृ0– 157
7. वहीं, पृ0–158
8. यग इण्डिया, 18–02–26
9. वही, 30–09–26
10. प्रभु, आर0के0 एवं राव, यू0आर0:महात्मा गांधी के विचार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, प्रथम सस्करण, 1994, पृ0–165
11. वहीं, पृ0–158
12. दिवाकर, आर0आर0 : सत्याग्रह, हिन्द किताब्स, बम्बई, 1946, पृ0–41
13. गांधी, मो0के0 : सत्याग्रह, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1958, पृ0–6
14. गांधी, एम0के0 : सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1950, द्वितीय एडि0, पृ0–179
15. हरिजन, 08–07–39
16. वही, 08–07–39
17. गांधी, मो0के : सत्याग्रह, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1958, पृ0–3
18. वहीं, पृ0–3
19. वहीं, पृ0–4
20. प्रभु, आर0के0 एंव राव, यू0आर0: महात्मा गांधी के विचार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1994, पृ0–156
21. वहीं, पृ0–156
22. गांधी, मो0 के0: सत्याग्रह, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1958, पृ0–4
23. यंग इण्डिया, 08–08–29
24. वहीं, 25–08–20
25. वहीं, 02–06–20
26. बानड्यूरान्ट, जान वी : कॉनक्वेस्ट ऑफ वायलेन्स, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1958, पृ0–119
27. हरिजन, 03–02–40
28. प्रभु, आर0के0 एवं राव : यू0आर0, : महात्मा गांधी के विचार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1994, पृ0–156
29. श्रीधरानी, के0एल0 : वार विदाउट वायलेन्स, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1962, पृ0–32
30. हरिजन, 18–08–46
31. वहीं, 13–10–40

LBP PUBLICATION

32. प्रभु, आर0के0 एवं राव, यू0आर0 : महात्मा गांधी के विचार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1994, पृ0–174
33. यंग इण्डिया, 31–12–31
34. प्रभु, आर0के0एवं0 राव, यू0आर0 : महात्मा गांधी के विचार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1994, पृ0–159
35. वहीं, पृ0–158
36. वहीं, पृ0–159

LBP PUBLICATION